



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 02/2019/परीक्षा/दिनांक 18/01/2019

प्रकाशन की तिथि 23/01/2019

विज्ञापन ::

सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के पद पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 04/02/2019 मध्याह्न 12:00 बजे से 05/03/2019 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही रवीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी तरीं पर उनका प्रवेश सुरक्षित। अनंतिम होगा चाहे वे नियमित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से रवीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अन्यथा के खिन्हाकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक रवीकार नहीं किये जाएंगे।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 04/02/2019 को मध्याह्न 12:00 बजे से 05/03/2019 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में चुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 08/03/2019 अपराह्न 12:00 बजे से 14/03/2019 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त चुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- श्रीमी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान चुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की रिक्षति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (विभिन्न विषयों) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है—

सं. क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	कुल योग	वेतन मैट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी बैकलॉग	43	5	15	6	12	1	4	1	4 (OA, OL) 5 (OA, OL)	69 61	130	
2	भौतिक शास्त्र बैकलॉग	35	8	22	10	10	2	6	3	4 (OA, OL) 5 (OA, OL)	75 41	116	
3	राजनीति शास्त्र बैकलॉग	22	6	16	6	6	1	4	1	3 (OA, OL) 2 (OA, OL)	50 9	59	
4	हिन्दी बैकलॉग	20	5	15	6	6	1	4	1	2 (OA, OL) 1 (OA, OL)	46 4	50	
5	गृह विज्ञान बैकलॉग	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2 7	9	
6	वाणिज्य बैकलॉग	44	12	31	13	13	3	9	3	6 (OA, OL) 4 (OA, OL)	100 84	184	
7	रसायन शास्त्र बैकलॉग	40	11	28	12	12	3	8	3	5 (OA, OL) 4 (OA, OL)	91 59	150	
8	गणित बैकलॉग	28	7	18	8	8	2	5	2	4 (OA, OL) 2 (OA, OL)	61 38	99	
9	अर्थशास्त्र बैकलॉग	15	3	9	4	4	-	2	1	1 (OA, OL) 1 (OA, OL)	31 30	61	

वेतन मैट्रिक्स
अकादमिक
लेवल-10
वित्त बैंड
₹ 15600-39100
+ ए.जी.पी.
6000)

संक्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	कुल योग	वेतन मैट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	इतिहास बैकलॉग	18	4	13	6	5	1	3	1	2 (OA, OL)	41 15	56	
11	वनरपति शास्त्र बैकलॉग	59	8	20	9	17	2	6	2	5 (OA, OL) 3 (OA, OL)	96 51	147	
12	प्राणी शास्त्र बैकलॉग	32	8	22	10	9	2	6	3	4 (OA, OL) 3 (OA, OL)	72 53	125	
13	भूगोल बैकलॉग	18	5	14	5	5	1	4	1	2 (OA, OL)	42 10	52	
14	समाज शास्त्र बैकलॉग	11	3	8	3	3	-	2	-	1 (OA, OL)	25	36	
15	टसर टेक्नोलॉजी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
16	सेरिकल्चर बैकलॉग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	3	
17	भू-गर्भशास्त्र बैकलॉग	-	1	3	1	-	-	-	-	-	5	5	
18	मनोविज्ञान बैकलॉग	-	3	5	-	-	-	1	-	-	8	8	
19	कम्प्यूटर साईंस बैकलॉग	4	1	3	1	1	-	-	-	-	9 3	12	
20	बायो टेक्नोलॉजी बैकलॉग	2	1	1	1	-	-	-	-	-	5 1	6	
21	कम्प्यूटर एप्लीकेशन बैकलॉग	8	2	6	2	2	-	1	-	1 (OA, OL)	18	20	
22	विधि बैकलॉग	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	32	
23	संस्कृत बैकलॉग	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3 2	5	
24	माईक्रो बायोलॉजी बैकलॉग	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2 6	8	
25	बायोकेमेट्री बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
26	वानिकी बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
27	सूचना प्रौद्योगिकी बैकलॉग	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3 5	8	
कुल पद :-												1384	

Abbreviations used: OA=One Ann, OL=One Leg

होगे।

रिक्तियों में आरक्षण :-

उपर्युक्त तालिका के कालम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अध्यधियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अध्यधियों हेतु आरक्षित है।

छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अध्यधीनी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

वेतन मैट्रिक्स
अकादमिक
लेवल-10
(वेतन डैड
₹ 15600-39100
+ ए.जी.पी.
6000)

6. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक', पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो' एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है।
7. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी वरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनहै (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता / चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
- (2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य :-
- पद का नाम :- सहायक प्राध्यापक
 - सेवा श्रेणी :- राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी
 - वेतन मैट्रिक्स :- ₹ 15600-39100 ए.जी.पी. 6000 (₹ 57700 (अकादमिक रत्तर-10)
- इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ :-
- अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संवृद्धित विषय में कम से कम 55% अंक (अथवा / एवं 7 विन्दु ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड "बी") अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।
 - उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के बाद भी, अभ्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्याधित (मान्यता प्राप्त) समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना होगा।
 - उप-खण्ड (क) तथा (ख) में अन्तर्विट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुबान आयोग (एमफिल/पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या जिन्हे प्रदान की गई हो, को सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य पद में भी तथा नियुक्ति के लिये नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।
 - ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिये नेट/स्लेट/सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, के लिये नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।

टीप:-

- वे अभ्यर्थी जो, दिनांक 11 जुलाई, 2009 सहायक प्राध्यापक पद के लिए एमफिल/पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत हैं, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों द्वारा शासित होंगे। पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन न्यूनतम पात्रता शर्तों से छूट प्राप्त होगी:
- अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो;
- कम से कम दो बाह्य परीक्षाओं द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;
- अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित हुआ हो;
- जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;
- अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;
- अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

उपर्युक्त (क) से (ड.) को कुलपति/प्रति-कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य), संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(2) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत है:-

(एक) स्नातक (अंडर ग्रेजुएट)-न्यूनतम 50%

(3) यूजीसी, की परिवर्तन तालिका के अनुसार, प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगा:-

श्रेणी	श्रेणी बिन्दु (पाईट)	समतुल्य प्रतिशत
'O'	5.50 - 6.00	75 - 100
'A'	4.50 - 5.49	65 - 74
'B'	3.50 - 4.49	55 - 64
'C'	2.50 - 3.49	45 - 54

(4) (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त व्यक्ति तथा दृष्टिहीन व्यक्ति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर समृद्ध श्रेणियों) के संर्वां के व्यक्तियों की, शिक्षण संबंधी स्थानों (पदों) पर सीधी भत्ती के दीरान उनके पात्रता एवं अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के निर्धारण के उदादेश्य से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट उपलब्ध कराई जा सकती। पात्रता के लिए 65% अंक (अथवा वहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर "पाइंट रेकोर्ड" की समकक्ष श्रेणी में) तथा उपरांक्त उत्तिष्ठित संबंगों के लिये 5% की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी।

(दो) ऐसे पीएच.डी. धारक, जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिप्लोमा 19 सितावर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5% की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55% से 50% होगी।

(तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां संवृद्धि श्रेणी, जो 55% के यथा समतुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जायेगी।

(3) परिवीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट:-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, पीएच.डी., नेट, सेट, स्लेट, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, पीएच.डी., नेट, सेट, स्लेट, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र सलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) निर्धारित आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2019 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थानीय/अधिकारी/वर्क चार्ज का काटिंगेसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छठनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- "छठनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अरथात् सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपनी नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने क्रमसः

- (iv) के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
 (v) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
 (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
 (vii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/ पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षकर्मी/ पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकती तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।
 (viii) स्थानीय सेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 (ix) विधाया, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।
 (x) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रांत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सर्वांग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
 (xi) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित “शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रबीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं” को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
 (xii) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु नियोजित अधिकारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
 (xiii) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- महत्वपूर्ण टीप:**
- (i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे – छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला, निःशक्तजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेंगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
 - (ii) आयु की गणना दिनांक – 01.01.2019 के संदर्भ में की जाएगी।
 - (S) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित

- आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, पीएच.डी., नेट, सेट, स्लेट, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनहर पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
- (6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकरूपियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए साक्षात्कार के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा— स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि, अनुभव, पंजीयन, पीएच.डी., नेट, सेट, स्लेट, आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक हैं, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, पीएच.डी., नेट, सेट, स्लेट, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है।** ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/ अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
- (iv) जाति प्रमाण पत्र :-
- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/ शुल्क/ आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ॲनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत अने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- (d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/ प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-
- (i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका – 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi), एवं 4(vii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/ नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका – 4(viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट

- (iv) का प्रमाण—पत्र।
 (v) विज्ञापन की कंडिका – 4(ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये गिला मजिस्ट्रेट/सद डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण—पत्र।
 (vi) विज्ञापन की कंडिका – 4(x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “शहीद राजीव पाण्डे पुरकार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार” प्राप्त होने का प्रमाण—पत्र।
 (vii) विज्ञापन की कंडिका – 4(xii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव” का प्रमाण—पत्र।
 (7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र :–
 (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/नियम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किरी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को “अनापत्ति प्रमाण—पत्र” सीधे आयोग को भेजने के लिए नियेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
 (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की रिति भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
 (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् ध्ययन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्ता न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्थीकार नहीं किया जाएगा।
 (8) आपराधिक अभियोजन :–
 (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो :–
 (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रथास किया हो, या पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
 (ii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/ किया हो, या
 (iv) कर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
 (v) ध्ययन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
 (vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
 (vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
 (viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
 (ix) प्रवेश—पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/राहायक केन्द्राध्यक्ष/योक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष
- (x) के द्वारा स्थापित ध्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
 (xi) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
 (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकती है।
 (i) आयोग द्वारा उस ध्ययन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती और/या
 (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवरित किया जाएगा—
 (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले ध्ययन से।
 (b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से विचित किया जा सकता, और
 (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही रोग में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
 परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामश्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि—
 (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
 (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुभव अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।
 (9) अनहृता: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनहृता होगी :–
 (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/ नहीं होती।
 परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता।
 (ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वारथ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वारथ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकते वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।
 परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वारथ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्यादीन अरथात् उसे नियुक्त किया जा सकता कि वह उसे स्वारथ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकती है।
 (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
 (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिस महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 परन्तु जहाँ तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
 (v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु, से

पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

- (10) **चयन प्रक्रिया** :— विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं को होने से ही उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा “केवल” साक्षात्कार द्वारा अथवा ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीप:- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-

- (i) उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट—‘एक’ तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट—‘दो’ में प्रकाशित है।

- (11) **ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क** :—

- (i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/- (रुपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।
(ii) अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक अहता रखने पर एक से अधिक विज्ञापित पदों हेतु आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान पृथक—पृथक करना होगा।

- (12) **ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में**—
(यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

- (i) आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ii) अभ्यर्थी आयोग को ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न—पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न—पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर

को मध्य दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 07 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनियार्थतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत धर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

- (13) **यात्रा व्यय का भुगतान** :—

- (i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को याचित घोषणा—पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण—पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

- साक्षात्कार के लिये – साक्षात्कार हेतु उपरिथित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान निम्नानुसार किडिका 13(i) में उल्लेखित याचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

- (14) **विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें / महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):—**

इस विज्ञाप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही /—

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

रायपुर

परिशिष्ट-एक
“परीक्षा योजना”

- (1) चयन दो घरणों में होगी, प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

ऑनलाइन परीक्षा	—	300 अंक
साक्षात्कार	—	30 अंक
कुल	—	330 अंक

- (2) ऑनलाइन परीक्षा:-

- (i) ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा:-

प्रश्न पत्र

प्रश्नों की संख्या 150	3:00 घंटे	अंक 300
भाग 1 – सामान्य ज्ञान	—	50 प्रश्न (100 अंक)
भाग 2 – संबंधित विषय	—	100 प्रश्न (200 अंक)
कुल	—	150 प्रश्न (300 अंक)

- (3) ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (वहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये पांच संभाव्य उत्तर होंगे जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुरितका मैं उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स, द या इ में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

- (4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा:-

$$MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$$

जहाँ MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः

निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।

(5) पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट-दो में दी गई है।

(6) ऑनलाइन परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अहंकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।

(7) साक्षात्कार:- साक्षात्कार के लिए कोई अहंकारी चूनतम अंक नहीं है।

(8) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में अहंकारी किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

(9) चयन सूची:- उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

* * * *